

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/आरएसके/आरटीई/2025/ 1420

भोपाल दिनांक 28/03/2025

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यमप्रदेश
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.शा.पत्र क्र .22-7/2021 EE 19/15-13 दिनांक 09.02.2023 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक/1204/1565586/2024/20-2, दिनांक 23.07.2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार सत्र 2024-25 के लिए पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई थी।

2/सत्र 2025-26 के लिये पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निर्धारित की जाती है:-

क्रमांक	प्रवेश हेतु कक्षा	न्यूनतम आयु/ अधिकतम आयु
1	नर्सरी	न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
2	K.G.I	न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
3	K.G.II	न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह
4	कक्षा1-	न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह

3/ प्री-प्राथमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी. 1, के.जी. 2) के लिये न्यूनतम आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तथा कक्षा 1 के लिये 30 सितम्बर 2025 से की जायेगी।

(हरजिंदर सिंह)

संचालक


राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ० क्रमांक/ आरएसके/आरटीई/2025/ 1421

भोपाल दिनांक 28/03/25

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन,।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
5. प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।
6. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म०प्र०।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र